

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/ v-13/37933 /2026 /249

दिनांक:- 08/06/2026

-::आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश एफ.11(7)एफडी/रूल्स/2008/पार्ट-1 दिनांक 06.10.08 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | कार्मिका का नाम एवं पदनाम (सुश्री/श्रीमती) | पदस्थापन जिला                          | प्रथम नियुक्ति तिथि | एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि | वर्तमान में प्राप्त पे बेंड/वेतन शृंखला/लेवल | देय पे ग्रेड/ देय वेतन शृंखला/लेवल |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | श्रीमती वन्दना शर्मा<br>म 0 स्वा 0 कार्य 0 | जिला क्षय<br>निवारण केन्द्र<br>भीलवाडा | 06-03-1999          | 06-03-2026                         | L-11                                         | L-12                               |

नोट:- 1. उक्त कार्मिका के यदि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

2. उक्त कार्मिका का वेतन नियतन सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 08/06/2026

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/ v-13/37933 /2026 /249

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
2. जिला क्षय निवारण केन्द्र भीलवाडा।
3. श्रीमती वन्दना शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :05-06-2026 05:04:35

RajKaj Ref No.:  
22637728